न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-2475-III/14

अमृतलाल तनय राजधर यादव
निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..... आवेदक

21 JUL 2014

बनाम

1. दम्मू तनय बल्दु अहिरवार
2. हरदास तनय बल्दू अहिरवार
3. गंगाबाई पत्नि हल्कू अहिरवार
4. गंगाबाई पत्नि हल्कू अहिरवार
5. मुकेश, राजेश तनय रामदास अहिरवार
6. जितेन्द्र, मनोज तनय हल्कू अहिरवार

सभी निवासी ग्राम अनंतपुरा तहर्स जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता :–

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान आयुक्त सागर संभाग सागर के अपपील प्र.क. ... 116/अ-3/14 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विरवण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 08.04.1996 के खसरा नं. 545/03 में से रकवा 0.272 हे. भूमि अमित कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा के क्रय की थी तथा कय दिनांक से ही अनावेदक अमृतलाल वादग्रस्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि में से रकवा 60 गुणा 40 वर्गफुट अनावेदक द्वारा दिनांक 18.01.2013 को शास्वत सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति को भी क्रय कर दिये जिस पर वह भी अपना नामॉतरण कराकर मालिक काबिज हो गये हैं।
2. यह कि अनावेदक द्वारा वर्ष 2005 में एक आवेदन पत्र तरमीम वा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ को दिया। तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क. 18/अ–03/06–07 पंजीब0 करके संपूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादग्रस्त भूमि की तरमीम अपने पारित आ.दिनांक 21.02.2007 के द्वारा कर दी जिसकी एक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निगरानी प्र.क्रं. 2475/III/2014 *जिला टीकमगढ़*

17-8-15

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 116/अ-3/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.4.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनके व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एंव उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम अनन्तपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 454/3 रकबा 0.272 है0 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का आवेदक भूमिस्वामी है क्योंकि यह भूमि उसने पंजीकृत विकय पत्र से कय की है। इसी भूमि के नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु आवेदक ने तहसीलदार टीकमगढ़ को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार व्दारा कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 18 अ-3/ 06-07 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2007 से नक्शा तरमीम कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 16/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.7.10

से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 143/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.12.2010 से निगरानी स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27-7-10 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 116 अ-3/11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.4.2014 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 15.12.10 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ आयुक्त, सागर संभाग के आदेश दिनांक 29-4-14 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार के आदेश को इसलिये अमान्य किया है क्योंकि सर्वे नंबर 545 का रकबा बहुत बड़ा है तथा आवेदक ने भूमि किस प्रकार अर्जित की है जांच का विषय माना है उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि इस रकबे के अन्य भाग पर बेजा कब्जा भी है। विचाराधीन मामला भूमिस्वामी की भूमि के मात्र नक्शा तरमीम का है यदि सर्वे नंबर 545 के किसी भाग पर अतिक्रमण हैं अतिक्रामकों का बेजा कब्जा हटाने के लिये प्रशासन स्वतंत्र है किन्तु यह मामला आवेदक व्दारा रिकार्डेड भूमिस्वामी से पंजीकृत विक्रय पत्र व्दारा क्रय की गई भूमि के नक्शा तरमीम का है जिसका

अतिक्रमण से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु विक्रय-पत्र में अंकित चर्तुदिशा अनुसार आवेदक की भूमि को नक्शे में चिन्हित कर तहसीलदार ने नक्शा तरमीम किया है। नक्शा तरमीम के पूर्व राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने स्थल निरीक्षण किया है तथा सीमा रेखायें मापकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इस प्रकार तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा की गई कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 116/अ-3/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.4.2014 एंव अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 16/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-7-10 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 143/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.12.2010 स्थिर रहने से तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 18 अ-3/ 06-07 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2007 भी स्थिर रहता है।

सदस्य